



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 7, 2010/पौष 17, 1931

No. 11]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 7, 2010/PAUSA 17, 1931

पोत परिवहन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2010

सा.का.नि. 13(अ).—केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 की 44) की धारा 356ग की उप-धारा (3), धारा 356ड, धारा 356ण के खंड (डड) और धारा 457 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन (पोतों से मल द्वारा प्रदूषण का निवारण) नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) "अधिनियम" से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 अभिप्रेत है;
- (ख) "आब्दिक तारीख" से प्रत्येक वर्ष का वह दिन और मास अभिप्रेत है जो अन्तर्राष्ट्रीय मल प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र की पर्यवसान की तारीख के तदनु रूप हो;
- (ग) "प्रमाणपत्र" से नियम 5 के अधीन जारी किए गए, यथास्थिति, अन्तर्राष्ट्रीय मल प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र या भारतीय मल प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;
- (घ) "प्रमाणन प्राधिकारी" से केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;
- (ङ) "विद्यमान पोत" से ऐसा पोत अभिप्रेत है जो एक नया पोत नहीं है;
- (च) "सरकारी पोत" से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन पोत अभिप्रेत है;

(छ) "धारक टैंक" से मल के संग्रहण और भंडारण के लिए उपयोग किया गया है टैंक अभिप्रेत है;

(ज) "अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री यात्रा" किसी ऐसे देश से समुद्री यात्रा अभिप्रेत है जिसको ऐसे देश के बाहर पतन को अभिसमय लागू होता है या इसके विपरीत;

(झ) "नए पोत" से ऐसा पोत अभिप्रेत है—

(क) जिसके लिए निर्माण संविदा की जाती है या निर्माण संविदा के अभाव में, जिसकी कोल बिछाई जाती है या जो 27 सितम्बर, 2003 को या उसके पश्चात् संनिर्माण के वैसे ही प्रक्रम पर है; या

(ख) 27 सितम्बर, 2003 के पश्चात् जिसका परिदान तीन वर्ष या उससे अधिक है;

(ज) "निकटतम भूमि", इसके सभी व्याकरणिक रूप भेदों सहित, से ऐसी आधार रेखा अभिप्रेत है जिससे प्रश्नगत राज्य क्षेत्र का राज्यक्षेत्रीय सागर अभिसमय के प्रयोजनों के सिवाय अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार स्थापित किया जाता है, आस्ट्रेलिया के पूर्वोत्तर तट की विपरीत निकटतम भूमि से अक्षांश 11°00 दक्षिण देशांतर 142°08 उत्तर में आस्ट्रेलिया के तट पर किसी बिन्दु से खींची गई आधार रेखा अभिप्रेत होगी :—

वहां से अक्षांश 10°35 दक्षिण में बिंदु तक देशांतर 141°55 पूर्व
 वहां से अक्षांश 10°00 दक्षिण में बिंदु देशांतर 142°00 पूर्व
 वहां से अक्षांश 09°10 दक्षिण में बिंदु देशांतर 143°52 पूर्व
 वहां से अक्षांश 09°00 दक्षिण में बिंदु देशांतर 144°30 पूर्व
 वहां से अक्षांश 10°41 दक्षिण में बिंदु देशांतर 145°00 पूर्व
 वहां से अक्षांश 13°00 दक्षिण में बिंदु देशांतर 145°00 पूर्व
 वहां से अक्षांश 17°30 दक्षिण में बिंदु देशांतर 147°00 पूर्व

वहां से अक्षांश 21°00 दक्षिण में बिंदु देशांतर 152°55 पूर्व
वहां से अक्षांश 24°30 दक्षिण में बिंदु देशांतर 154°00 पूर्व
वहां से अक्षांश 24°42 दक्षिण में आस्ट्रेलिया के तट पर बिंदु
तक देशांतर 153°15 पूर्व में ।

- (ट) "व्यक्ति" में कर्मीदल का सदस्य और यात्री भी सम्मिलित हैं;
- (ठ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;
- (ड) "मल" के वही अर्थ होंगे जो उसके धारा 356ग को उप-धारा (3) के स्पष्टीकरण में हैं ।

3. मल द्वारा समुद्र के प्रदूषण को रोकने की बाध्यता.—

(1) समुद्रीय यात्रा में चलने वाले निम्नलिखित पोत, पोतों के मल द्वारा समुद्र के प्रदूषण को रोकने की बाध्यता के अधीन होंगे और इन नियमों के उपबंधों का अनुपालन करेंगे, अर्थात् :—

- (क) चार सौ सकल टन भार और उससे अधिक के नए पोत;
- (ख) चार सौ सकल टन भार से कम के ऐसे नए पोत जो पन्द्रह से अधिक व्यक्तियों को वहन करने के लिए प्रमाणित किए गए हैं;
- (ग) चार सौ सकल टन भार और उससे अधिक के विद्यमान पोत, 27 सितम्बर, 2003 की तारीख के पश्चात् पांच वर्ष तक;
- (घ) चार सौ सकल टन भार से कम के विद्यमान पोत जिन्हें पन्द्रह से अधिक व्यक्तियों को वहन करने के लिए प्रमाणित किया गया है, 27 सितम्बर, 2003 की तारीख के पश्चात् पांच वर्ष तक ।

(2) केन्द्रीय सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उप-नियम (1) के खंड (ग) और (घ) के अधीन विनिर्दिष्ट विद्यमान पोत, जिनकी कीलें बिछा दी गई हैं या जो 2 अक्टूबर, 1983 से पूर्व संनिर्माण के वैसे ही प्रक्रम पर हैं, इस प्रकार सज्जित किए जाएंगे जिससे नियम 11 की अपेक्षाओं के अनुसार मल को निस्सारित किया जा सके :

परन्तु यह कि नियम 11 के उपबंध निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे :—

- (क) पोत स मल को निस्सारित करना, पोत की और फलक पर व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए या समुद्र में जीवन रक्षा के लिए आवश्यक है;
- (ख) पोत या इसके उपस्कर के नुकसान से उत्पन्न हुए मल को निस्सारित करने परन्तु निस्सारण को रोकने या उसे न्यूनीकृत करने के प्रयोजन के लिए ऐसे नुकसान के घटित होने से पूर्व और बाद में सभी युक्तियुक्त पूर्वसावधानियां बरती गई हों ।

4. सर्वेक्षण : (1) नियम 3 के उप-नियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रत्येक पोत निम्नलिखित सर्वेक्षणों के अधधीन होगा, अर्थात् :—

- (क) आरंभिक सर्वेक्षण पोत का उपयोग करने से पूर्व या पहली बार नियम 5 के अधीन अपेक्षित प्रमाणपत्र जारी किए जाने से पूर्व संचालित किया जाता है और ऐसे आरंभिक सर्वेक्षण

में इसकी संरचना, उपस्कर, प्रणालियां, फिटिंगों व्यवस्थाओं और सामग्री का एक सम्पूर्ण सर्वेक्षण सम्मिलित होगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे इन नियमों की अपेक्षाओं का पूर्ण रूप से अनुपालन करते हैं ।

- (ख) नवीकरण सर्वेक्षण पांच वर्ष से अनधिक के अन्तराल पर वहां के सिवाय संचालित किया जाएगा जहां नियम 8 के उपनियम (2), (5), (6) और (7) के उपबंध लागू होते हैं और नवीकरण सर्वेक्षण ऐसा होगा जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि संरचना, उपस्कर, प्रणालियां, फिटिंग, व्यवस्थाओं और सामग्रियां इन नियमों की अपेक्षाओं का पूर्णतया अनुपालन करते हैं ।

(ग) परिस्थितियों के अनुसार एक अतिरिक्त सर्वेक्षण या तो वह साधारण या आंशिक होगा, उप-नियम (4) की अपेक्षानुसार मरम्मत के पश्चात् संचालित किया जाएगा या जब कभी महत्वपूर्ण मरम्मतें या नवीकरण किए जाते हैं और ऐसा सर्वेक्षण यह सुनिश्चित करता है कि आवश्यक मरम्मत या नवीकरण प्रभावपूर्ण रूप से किए गए हैं और ऐसी मरम्मतों या नवीकरण की सामग्री तथा कौशल सभी बाबत समाधानप्रद है और पोत सभी बाबत इन नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है ।

(2) केन्द्रीय सरकार, ऐसे पोतों के लिए समुचित उपाय विनिर्दिष्ट करेगी जो ऐसी रीति में उप-नियम (1) के उपबंधों के अधधीन नहीं है और इन नियमों के उपबंधों का अनुपालन किया जाता है ।

(3) इन नियमों के उपबंधों के प्रवर्तन के प्रयोजनों के लिए पोतों का सर्वेक्षण धारा 9 के अधीन नियुक्त सर्वेक्षण द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 356छ की उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किया जाएगा ।

(4) केन्द्रीय सरकार,—

- (क) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी वह ठीक समझे, पोत की मरम्मत कराने की और राज्य पक्षकार के समुचित प्राधिकारियों के अनुरोध पर सर्वेक्षण कराने की अपेक्षा करने के लिए, यथास्थिति उप-नियम (3) में निर्दिष्ट सर्वेक्षक या प्राधिकृत व्यक्ति को सशक्त करेगी ।
- (ख) सर्वेक्षक या प्राधिकृत व्यक्ति को, उनके अधिकारियों की जानकारी के लिए राज्य पक्षकारों को परिचालन के लिए, इस प्रकार दिए गए विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्वों और शर्तों के अन्तर्गत समुद्री संगठन को अधिसूचित करेगी ।

(5) जब, यथास्थिति, सर्वेक्षक या प्राधिकृत व्यक्ति यह अवधारित करता है कि पोत या इसकी सज्जा की दशा, सारवान रूप से प्रमाणपत्र की विशिष्टियों के तदनु रूप नहीं है या ऐसी है कि पोत समुद्री पर्यावरण को हानि पहुंचाने की अयुक्तियुक्त आंशका उत्पन्न किए बिना समुद्र में अग्रसर होने के लिए उपयुक्त नहीं हैं, ऐसा सर्वेक्षक या प्राधिकृत व्यक्ति तुरन्त यह सुनिश्चित करेगा कि सुधारात्मक कार्रवाई की गई है और सम्यक् अनुक्रम में, उसकी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को करेगा :

परन्तु यह कि जहां ऐसी सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है, वहां प्रमाणपत्र वापस ले लिया जाएगा और केन्द्रीय सरकार को इसकी रिपोर्ट तुरन्त की जाएगी :

परन्तु यह और कि यदि पोत किसी अन्य राज्य पक्षकार के पत्तन में है, तो इसकी उस पत्तन राज्य की समुचित प्राधिकारियों को तुरन्त रिपोर्ट की जाएगी :

परन्तु यह भी कि जहां सर्वेक्षक या प्राधिकृत व्यक्ति वे पत्तन राज्य के समुचित प्राधिकारियों को रिपोर्ट की है तो उस पत्तन राज्य की सरकार इन नियमों के अधीन अपनी बाध्यताओं का पालन करने के लिए ऐसे सर्वेक्षक या प्राधिकृत व्यक्ति को आवश्यक सहायता देगी और यह सुनिश्चित करेगी ऐसा पोत तब तक समुद्र में नहीं चलेगा जब तक यह समुद्री पर्यावरण को हानि पहुंचाने की किसी अशुक्तियुक्त आशंका को प्रदर्शित किए बिना उपलब्ध निकटतम समुचित भरम्यत यार्ड की ओर अग्रसर होने के प्रयोजन के लिए समुद्र की ओर अग्रसर नहीं हो सकता है या पत्तन को नहीं छोड़ सकता है ।

(6) केन्द्रीय सरकार प्रत्येक मानकों में ऐसे सर्वेक्षण की संपूर्णता तथा दक्षता को पूर्णतया प्रत्याभूत करेगी और ऐसे बाध्यता को पूरी करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने का वचनबंध करेगी ।

(7) पोत तथा इसकी सज्जा की दशा को ऐसी रीति में बनाए रखा जाएगा जो अभिसमय के उपबंधों के अनुरूप हो ताकि पोत, सभी बाबत, समुद्री पर्यावरण को हानि पहुंचाने की किसी अशुक्तियुक्त संभावना को प्रदर्शित किए बिना समुद्री की ओर अग्रसर होने के लिए उपयुक्त हो ।

(8) उप-नियम (1) के अधीन, पोत के किसी सर्वेक्षण को पूरा हो जाने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के बिना, ऐसे उपस्कर और फिटिंगों के किसी सीधे प्रतिस्थापन के सिवाय ऐसे सर्वेक्षण के अन्तर्गत आने वाली संरचनाओं, उपस्करों, प्रणालियों, फिटिंगों, व्यवस्थाओं या सामग्रियों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

(9) जब कभी किसी पोत में कोई दुर्घटना हो जाती है या कोई ऐसी त्रुटि पाई जाती है जो इन नियमों की अपेक्षानुसार सारवान् रूप से पोत की संपूर्णता या इसकी सज्जा की दक्षता या संपूर्णता को प्रभावित करती है तो मास्टर या पोत का स्वामी केन्द्रीय सरकार को शीघ्रतम अवसर पर इसकी रिपोर्ट करेगा, जो यह अवधारण करने के लिए कि उप-नियम (1) की अपेक्षानुसार सर्वेक्षण आवश्यक है या नहीं, सर्वेक्षक या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा आरंभ किए जाने वाले अन्वेषण कराएगी :

परन्तु यह कि यदि पोत किसी अन्य राज्य पक्षकार के पत्तन में है तो मास्टर या स्वामी भी उस राज्य के पत्तन के समुचित प्राधिकारियों को इसकी भी रिपोर्ट तुरन्त करेगा और सर्वेक्षक या प्राधिकृत व्यक्ति भी यह अभिनिश्चित करेगा कि ऐसी रिपोर्ट की गई है ।

5. प्रमाण-पत्र का जारी किया जाना या उसका पृष्ठांकन.—(1) यथास्थिति, नियम 4 के उपबंधों के अनुसार, किसी आरंभिक सर्वेक्षण या नवीकरण सर्वेक्षण के पश्चात् एक अन्तर्राष्ट्रीय मल प्रदूषण निवारण प्रमाण-पत्र किसी ऐसे पोत को जारी किया जाएगा जो अभिसमय के अन्य राज्य पक्षकारों की अधिकारिता के

अधीन पत्तन या तट टर्मिनलों की समुद्री यात्राओं में लगा हुआ है और विद्यमान पोतों की दशा में, ऐसी अपेक्षा 27 सितम्बर, 2003 की तारीख के पश्चात् पांच वर्ष तक लागू रहेगी ।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्रमाण-पत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किया जाएगा या पृष्ठांकित किया जाएगा और प्रत्येक मामलों में, ऐसे प्रमाण-पत्र के लिए केन्द्रीय सरकार पूरी जिम्मेदारी लेगी ।

(3) केन्द्रीय सरकार, अभिसमय के राज्य पक्षकार की सरकार के अनुरोध पर उस राज्य में रजिस्ट्रीकृत पोत का सर्वेक्षण कराएगी और यदि समाधान हो जाता है कि अभिसमय के उपबंधों का अनुपालन किया गया है, तो उस पोत को अन्तर्राष्ट्रीय मल प्रदूषण निवारण प्रमाण-पत्र जारी करेगी और प्रमाण-पत्र की एक प्रति और सर्वेक्षण रिपोर्ट की एक प्रति सर्वेक्षण कराने का अनुरोध करने वाली सरकार को यथासंभव शीघ्र संप्रेषित करेगा ।

(4) उप-नियम (3) के अधीन जारी प्रमाण-पत्र में एक विवरण अन्तर्विष्ट होगा कि इसे राज्य पक्षकार की सरकार के अनुरोध पर जारी किया गया है और ऐसे प्रमाण-पत्र का वही प्रभाव होगा मानो इसे उस सरकार द्वारा जारी किया गया हो ।

(5) ऐसे पोत को कोई अन्तर्राष्ट्रीय मल प्रदूषण निवारण प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाएगा जो किसी राज्य की, जो पक्षकार नहीं है, पताका फहराने के लिए हकदार नहीं है ।

(6) केन्द्रीय सरकार, किसी ऐसे पोत को भारतीय मल प्रदूषण निवारण प्रमाण-पत्र जारी करेगी जो भारतीय समुद्र में पत्तन या तट टर्मिनलों की समुद्री यात्रा में लगे हुए हैं और विद्यमान पोतों की दशा में, ऐसी अपेक्षा 27 सितम्बर, 2003 की तारीख के पश्चात् पांच वर्ष तक लागू होगी ।

6. किसी अन्य सरकार द्वारा प्रमाण-पत्र जारी किया जाना या उसका पृष्ठांकन.—(1) अभिसमय के राज्य पक्षकार की सरकार, केन्द्रीय सरकार के अनुरोध पर, पोत का सर्वेक्षण कराएगी और यदि समाधान हो जाता है कि अभिसमय के उपबंधों का पालन किया जाता है, उस पोत को अन्तर्राष्ट्रीय मल प्रदूषण निवारण प्रमाण-पत्र जारी करेगी या जारी करने के लिए प्राधिकृत करेगी और जहां समुचित हो, वहां इन नियमों के अनुसार उस पोत पर उस प्रमाण-पत्र को पृष्ठांकित करेगी या पृष्ठांकन को प्राधिकृत करेगी ।

(2) प्रमाण-पत्र की एक प्रति और सर्वेक्षण रिपोर्ट की एक प्रति सर्वेक्षण का अनुरोध करने वाली केन्द्रीय सरकार को संप्रेषित की जाएगी ।

(3) उप-नियम (1) के अधीन इस प्रकार जारी प्रमाण-पत्र में इस प्रभाव का कथन अंतर्विष्ट होगा कि इसे केन्द्रीय सरकार के अनुरोध पर जारी किया गया है और उसका वही बल होगा तथा उसको वैसी ही मान्यता प्राप्त होगी जैसी नियम 5 के अधीन जारी किए गए प्रमाण-पत्र को होती है ।

7. प्रमाण-पत्र का प्ररूप.—अन्तर्राष्ट्रीय मल प्रदूषण निवारण प्रमाण-पत्र प्ररूप-I में होगा और भारतीय मल प्रदूषण प्रमाण-पत्र प्ररूप-II में होगा ।

8. प्रमाण-पत्र की अवधि और विधिमान्यता.—(1) जारी किया गया यथास्थिति, अन्तर्राष्ट्रीय मल प्रदूषण निवारण प्रमाण-पत्र या भारतीय मल प्रदूषण निवारण प्रमाण-पत्र अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा।

(2) उप-नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए, जब नवीकरण सर्वेक्षण पूरा कर लिया जाता है, तब—

(क) विद्यमान प्रमाण-पत्र की समाप्ति की तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर जारी किया गया नया प्रमाण-पत्र विद्यमान प्रमाण-पत्र की समाप्ति की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए ऐसे नवीकरण सर्वेक्षण के पूरा होने की तारीख से विधिमान्य होगा;

(ख) विद्यमान प्रमाण-पत्र की समाप्ति की तारीख के पश्चात्, जारी किया गया नया प्रमाण-पत्र विद्यमान प्रमाण-पत्र की समाप्ति की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए ऐसे नवीकरण सर्वेक्षण के पूरा होने की तारीख से विधिमान्य होगा;

(ग) विद्यमान प्रमाण-पत्र की समाप्ति की तारीख से तीन मास से अधिक की अवधि से पूर्व जारी किया गया नया प्रमाण-पत्र ऐसे नवीकरण सर्वेक्षण के पूरा होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकरण सर्वेक्षण के पूरा होने की तारीख से विधिमान्य होगा।

(3) यदि पांच वर्ष से कम अवधि के लिए प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है तो केन्द्रीय सरकार उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट अधिकतम अवधि तक समाप्ति की तारीख से आगे प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता को विस्तारित कर सकेगी।

(4) यदि नवीकरण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और विद्यमान प्रमाण-पत्र की समाप्ति से पूर्व एक नया प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जा सकता या पोत के फलक पर नहीं लगाया जा सकता है, तो केन्द्रीय सरकार विद्यमान प्रमाण-पत्र को पृष्ठांकित कर सकेगी और ऐसा प्रमाण-पत्र समाप्ति की तारीख से पांच मास की अतिरिक्त अवधि के लिए विधिमान्य रूप में स्वीकार किया जाएगा।

(5) यदि किसी समय जब प्रमाण-पत्र समाप्त हो जाता है तो पोत उस पत्तन में नहीं है जिसमें इसका सर्वेक्षण किया जाना है, या ऐसे अन्य मामलों में जिन्हें वह ऐसा करने के लिए उचित तथा युक्तियुक्त समझें, केन्द्रीय सरकार प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता की अवधि को विस्तारित कर सकेगी :

परन्तु यह कि ऐसा विस्तार उस पत्तन के जिसमें इसका सर्वेक्षण किया जाना है, उसकी समुद्री यात्रा को पूरा करने की पोत को अनुज्ञा देने के प्रयोजन के लिए ही अनुदत्त किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि ऐसा विस्तार तीन मास से अनधिक की अवधि के लिए मंजूर नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि ऐसा पोत जिसका विस्तार मंजूर किया जाता है, इस पत्तन में उसके पहुंचने पर, जिसमें इसका सर्वेक्षण किया जाता है, एक नया प्रमाण-पत्र लिए बिना उस पत्तन को छोड़ने का

हकदार होगा और नवीकरण सर्वेक्षण पूरा हो जाने के पश्चात् जारी किया गया ऐसा नया प्रमाण-पत्र विस्तार मंजूर किए जाने से पूर्व विद्यमान प्रमाण-पत्र की समाप्ति की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।

(6) जहां लघुतर समुद्री यात्राओं पर चलने वाले पोत को जारी किया गया प्रमाण-पत्र उप-नियम (5) के उपबंधों के अधीन विस्तारित नहीं किया गया है, वहां केन्द्रीय सरकार इसकी समाप्ति की तारीख से एक मास तक माफी की अवधि बढ़ा सकेगी और नवीकरण सर्वेक्षण पूरा हो जाने के पश्चात् जारी किया गया नया प्रमाण-पत्र विद्यमान प्रमाण-पत्र की, इसके विस्तार की मंजूरी किए जाने से पूर्व, समाप्ति की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा।

(7) ऐसी विशेष परिस्थितियों में, जिनका अवधारण केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाए, नया प्रमाण-पत्र नवीकरण सर्वे को पूरा हो जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाएगा न कि उप-नियम (2) के खण्ड (ख) उप-नियम (5) और उप-नियम (6) में यथा उपबंधित विद्यमान प्रमाण-पत्र की तारीख से।

(8) नियम 5 या नियम 6 के अधीन जारी किया गया प्रमाण-पत्र निम्नलिखित मामलों में विधिमान्य नहीं रह जाएगा, अर्थात् :—

(क) जहां नियम 4 के उप-नियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट सर्वेक्षण तद्दीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरा नहीं किया जाता है; या

(ख) पोत को किसी अन्य राज्य पक्षकार की पताका को अन्तरण किए जाने पर :

परन्तु ऐसा करने की अपेक्षा करने वाली किसी सरकार द्वारा ऐसा नया प्रमाण-पत्र तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक सरकार का पूर्णतया यह समाधान नहीं हो जाता है कि पोत नियम 4 के उप-नियम (7) और (8) की अपेक्षाओं का पूर्णतया अनुपालन करता है :

परन्तु यह और कि राज्य पक्षकारों के बीच अन्तरण की दशा में, यदि ऐसे अन्तरण के हो जाने के पश्चात् तीन मास के भीतर कोई अनुरोध नहीं किया जाता है तो ऐसे राज्य पक्षकार की सरकार, जिसकी पताका को पोत पहले फहराने का हकदार था, यथासंभव शीघ्र, ऐसे अन्तरण से पूर्व पोत द्वारा वहन की गई प्रमाण-पत्र की प्रतियां और सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रतियां, यदि उपलब्ध हों, केन्द्रीय सरकार को संप्रेषित करेगी।

9. मल प्रणालियां.—नियम 3 में विनिर्दिष्ट पोत जो इन नियमों के उपबंधों का अनुपालन करने की बाध्यता के अधीन है, निम्नलिखित मल प्रणालियों में से किसी एक प्रणाली से सज्जित होगा, अर्थात् :—

(क) उस प्रकार का मल उपचार संयंत्र, जिसे केन्द्रीय सरकार अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा विकसित मानकों तथा परीक्षण पद्धतियों पर विचार करने के पश्चात् अनुमोदित करे; या

(ख) मल विखण्डन तथा विसंक्रमणकारी प्रणाली, जिसे केन्द्रीय सरकार अनुमोदित करे :

परन्तु यह कि जब पोत निकटतम भूमि से तीन नौ मील से कम की दूरी पर हो तो ऐसी प्रणाली मल के अस्थायी भंडारण के लिए ऐसी प्रसुविधाओं से सज्जित होगी।

(ग) पोत के प्रचालन, फलक पर व्यक्तियों की संख्या तथा अन्य सुसंगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ऐसी क्षमता का धारक टैंक जिसे केन्द्रीय सरकार संपूर्ण मल के प्रतिधारण के लिए विनिर्दिष्ट करे :

परन्तु ऐसा धारक टैंक ऐसी रीति में संनिर्मित किया जाएगा जैसी केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए और इसकी अन्तर्वस्तुओं की रकम को दृश्यमान रूप से उपदर्शित करने के साधन होंगे।

10. मानक निस्सारण कनेक्शन : (1) पोत की निस्सारण पाइपलाइन के साथ जोड़ी जाने वाली ग्रहण सुविधाओं के पाइपों को समर्थ बनाने के लिए, दोनों लाइनें निम्नलिखित सारणी के अनुसार मानक निस्सारण कनेक्शन के साथ फिट की जाएंगी, अर्थात् :-

सारणी

निस्सारण कनेक्शनों के लिए फ्लैजों के मानक परिमाण

वर्णन	विमा
बाह्य व्यास	210 मि.मी.
आन्तरिक व्यास	बाह्य व्यास के पाइप के अनुसार
बोल्ट सर्किल व्यास	170 मि.मी.
फ्लैज में खांचे	18 मि.मी. व्यास वाले 4 छिद्र जो ऊपर व्यास बोल्ट सर्किल पर बराबर की दूरी पर लगे हों, 18 मि.मी. की चौड़ाई वाली फ्लैज परिधि पर खांचा बनाया गया हो।
फ्लैज की मोटाई	16 मि.मी.
बोल्टों और नटों की मात्रा तथा व्यास	4, प्रत्येक 16 मि.मी. के व्यास में और उपयुक्त लम्बाई की।

फ्लैज को 100 मि.मी. के अधिकतम आन्तरिक व्यास तक पाइपों को स्वीकार करने के लिए परिकल्पित किया गया है और जो इस्पात या अन्य समतुल्य सामग्री का होगा जिसका अग्रभाग समतल होगा और यह फ्लैज, जिसमें उपयुक्त गैसकेट लगा है, 600 केपीए की सर्विस दबाव के लिए उपयुक्त होगा :

परन्तु 5 मी. और उससे कम की गढ़ी हुई गहराई वाले पोतों के लिए निस्सारण कनेक्शन का भीतरी व्यास 38 मि.मी. हो सकेगा।

(2) अनिवार्य व्यापारों में पोतों के लिए अर्थात् यात्री नौकाएं इसकी निस्सारण पाइप लाइन अनुकल्पतः केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से शीघ्र कनेक्शन कपलिंगों जैसे निस्सारण कनेक्शन के साथ फिट की जा सकेंगी।

11. मल का निस्सारण : (1) नियम 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, समुद्र में मल का निस्सारण निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रतिषिद्ध है, अन्यथा नहीं, अर्थात् :-

(क) पोत निकटतम भूमि से तीन नौ मील से अधिक की दूरी पर नियम 9 के खंड (ख) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट ऐसी प्रणाली का

उपयोग करके विखंडित और विसंक्रमित मल का या ऐसे मल का परित्याग कर रहा हो जो निकटतम भूमि से बारह नौ मील से अधिक की दूरी पर विखण्डित या विसंक्रमित नहीं किया गया है;

परन्तु ऐसा मल, जिसे धारक टैंक में भंडारित किया गया है तत्काल निस्सारित नहीं किया जाएगा परन्तु एक संतुलित दर पर तब किया जाएगा जब पोत मार्गस्थ हो और कम से कम चार समुद्री मील की दूरी पर चल रहा हो :

परन्तु यह और कि निस्सारण की दर केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा विकसित मानकों के आधार पर अनुमोदित की जाएगी; या

(ख) चलत पोत में नियम 9 के खंड (क) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट संक्रियात्मक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए मल उपचार संयंत्र है; और—

(i) संयंत्र के परीक्षण परिणाम पोत के अन्तर्राष्ट्रीय मल प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र में अभिकथित हैं; और

(ii) निस्सारी दृश्यमान प्लवमान ठोस पदार्थ उत्पन्न नहीं करेगा न ही आस-पास के जल रंग को फीका करेगा।

(2) जब मल को अपशिष्ट या गन्दे पानी के साथ मिश्रित किया जाता है मल से भिन्न अन्य अपशिष्टों को लागू अभिसमय के उपबंध का भी इन नियमों की अपेक्षाओं के अतिरिक्त अनुपालन किया जाएगा।

12. ग्रहण प्रसुविधाएँ—केन्द्रीय सरकार धारा 356इ के उपबंधों के अनुसार पोतों के लिए अनुचित विलंब किए बिना मल को ग्रहण करने के लिए पत्तनों और टर्मिनलों पर सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी।

13. कार्य संचालन अपेक्षाओं पर नियंत्रण : (1) धारा 356छ के अधीन भारतीय पत्तन में किसी विदेशी पोत के निरीक्षण के दौरान, यथार्थस्थिति, सर्वेक्षक या तद्धीन प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, जिसके पास यह विश्वास करने के स्पष्ट आधार हैं कि उस पोत का मास्टर या कर्मीदल मल द्वारा प्रदूषण के निवारण संबंधी कार्य संचालन अपेक्षाओं और प्रक्रियाओं से अभिन्न नहीं है तो महानिदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सर्वेक्षक या प्राधिकृत व्यक्ति की सिफारिश पर ऐसे उपाय करेगा जो धारा 356ज में दिए गए हैं।

(2) इस नियम की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह अभिसमय में विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित कार्य संचालन अपेक्षाओं पर नियंत्रण करने वाली केन्द्रीय सरकार के अधिकारों और बाध्यताओं को परिसीमित करती है।

14. फीस : अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट फीस इन नियमों के अधीन सर्वेक्षण संचालित करने के प्रयोजनों के लिए उद्गृहीत की जाएगी।

15. शास्ति : जो कोई इन नियमों के उपबंधों में से किसी उपबंध का अतिक्रमण करता है वह धारा 458 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसार जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

प्ररूप-1

(नियम 7 देखिए)

अन्तर्राष्ट्रीय मल प्रदूषण निवारण प्रमाण-पत्र

पोतों से प्रदूषण निवारण संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय, 1973 के उपबंधों के अधीन जारी उनसे संबंधित 1978 के प्रोटोकॉल द्वारा यथाउपार्णित, भारत सरकार के प्राधिकार के अधीन यथासंशोधित (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अभिसमय" कहा गया है।)

द्वारा (सक्षम व्यक्ति का पूरा पदनाम या अभिसमय के उपबंधों के अधीन प्राधिकृत संगठन)

पोत की विशिष्टियाँ

पोत का नाम.....

सुस्पष्ट संख्या या अक्षर.....

रजिस्ट्री का पतन.....

सकल टन भार.....

व्यक्तियों की संख्या जिनका वहन करने के लिए पोत को प्रमाणित किया गया है.....

आईएमओ संख्यांक 2.....

नया/पोत विद्यमान पोत*

वह तारीख जिसको कील बिछाई गई थी या पोत संनिर्माण के उसी प्रकर्म या, जहां लागू हो, वह तारीख जिसको प्रमुख प्रकृति के संपरिवर्तन या परिवर्तन या उपातरण के लिए कार्य प्रारंभ हुआ था.....

यह प्रमाणित किया जाता है :

1. कि अभिसमय के उपाबंध IV के विनियम 9 और 10 के अनुपालन में पोत मल उपचार संयंत्र/विखंडन/धारक टैंक* से और निस्सारण पाइप लाइन से निम्नवत् रूप में सज्जित है :

1.1 मल उपचार संयंत्र का वर्णन :

मल उपचार संयंत्र का प्रकार.....

विनिर्माता का नाम.....

संकल्प एमईपीसा. 2 (VI) में यथाउपबंधित बहिःस्त्राव मानकों को पूरा करने के लिए मल उपचार संयंत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

1.2 विखण्डक का वर्णन :

विखण्डक का प्रकार.....

विनिर्माता का नाम.....

विसंक्रमण के पश्चात् मल का मानक.....

1.3 धारक टैंक का वर्णन :

धारक टैंक की कुल क्षमता.....एम 3

अवस्थिति.....

1.4 ग्रहण सुविधा जो किसी मानक तट कनेक्शन से युक्त है, के मल के निस्सारण के लिए पाइप लाइन।

2. कि पोत का अभिसमय के उपाबंध IV के नियम 4 के अनुसार सर्वेक्षण कर लिया गया है।

3. कि सर्वेक्षण यह दर्शाता है कि पोत की संरचना, सज्जा प्रणाली, फिटिंग व्यवस्था और सामग्री तथा उसकी दशा सभी बाबत समाधानप्रद रूप में है और पोत अभिसमय के उपाबंध IV की लागू अपेक्षाओं का अनुपालन करता है।

यह प्रमाण-पत्र अभिसमय के उपाबंध IV के विनियम 4 के अनुसार सर्वेक्षण के अधीन रहते हुए..... तक विधिमान्य है।

सर्वेक्षण की समापन तारीख, जिस पर यह प्रमाणपत्र आधारित है.....तारीख/मास/वर्ष

.....में जारी किया गया।

(प्रमाण-पत्र जारी करने का स्थान)

(तारीख/मास/वर्ष).....

(जारी करने की तारीख).....

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर)

(प्राधिकारी की मुद्रा या स्टॉप, जो लागू हो)

जहां विनियम 8.3 लागू होता है, वहां प्रमाण-पत्र यदि विधिमान्य है, पांच वर्ष से कम का विस्तार करने के लिए पृष्ठांकन

पोत अभिसमय के सुसंगत उपबंधों का अनुपालन करता है और यह प्रमाण-पत्र अभिसमय के उपाबंध IV के विनियम 8.3 के अनुसार..... तक (तारीख/मास/वर्ष) विधिमान्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

हस्ताक्षरित.....

(प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर)

स्थान.....

तारीख (तारीख/मास/वर्ष).....

(प्राधिकारी की मुद्रा या स्टॉप जो लागू हो)

जहां नवीकरण सर्वेक्षण पूरा हो गया है और विनियम 8.4 लागू होता है वहां पृष्ठांकन

पोत अभिसमय के सुसंगत उपबंधों का अनुपालन करता है

* जो लागू न हो उसे काट दें।

1. अनुकल्पितः, पोत की विशिष्टियाँ बाक्सों में अनुप्रस्थ रूप से भरी जा सकेंगी।
2. संकल्प अ600(15) के अनुसार संगठन द्वारा अंगीकृत आईएमओ पोत पहचान संख्या स्वीम देखें।
3. अभिसमय के उपाबंध IV के विनियम 8.1 के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट समाप्ति की तारीख भरे इस तारीख का दिन और मास अभिसमय के उपाबंध IV के विनियम 1.8 में यथा परिभाषित आबिक तारीख के तदनु रूप है।

और यह प्रमाण-पत्र अभिसमय के उपाबंध IV के विनियम 8.4 के अनुसार.....तक (तारीख/मास/वर्ष) विधिमान्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

हस्ताक्षरित.....

(प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर)

स्थान.....

तारीख (तारीख/मास/वर्ष).....

(प्राधिकारी की मुद्रा या स्टॉप जो लागू हो)

जहाँ विनियम 8.5 या 8.6 लागू होते हैं, वहाँ सर्वेक्षण के पत्तन पर पहुंचने तक या माफी अवधि तक प्रमाणपत्र की वैधता का विस्तार करने के लिए पृष्ठांकन

यह प्रमाणपत्र अभिसमय के उपाबंध IV के विनियम 8.5 या 8.6* के अनुसार.....तक (तारीख/मास/वर्ष) विधिमान्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

हस्ताक्षरित.....

(प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर)

स्थान.....

तारीख (तारीख/मास/वर्ष).....

(प्राधिकारी की मुद्रा या स्टॉप जो लागू हो)

प्ररूप-II

(नियम 7 देखिए)

भारतीय मल प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र

भारत सरकार के प्राधिकार के अधीन वाणिज्य पोत परिवहन (पोतों से मल द्वारा प्रदूषण निवारण) नियम, 2009 के उपबंधों के अधीन जारी और पोतों से प्रदूषण निवारण संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय 1973, उनसे संबंधित 1978 के प्रोटोकॉल द्वारा यथा उपांतरित, यथासंशोधित (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अभिसमय" कहा गया है।)

.....द्वारा (सक्षम व्यक्ति का पूरा पदनाम या पैराओं के उपबंधों के अधीन प्राधिकृत संगठन)

पोत की विशिष्टियां¹

पोत का नाम.....

सुस्पष्ट संख्या या अक्षर.....

रजिस्ट्री का पतन.....

सकल टन भार.....

व्यक्तियों की संख्या जिनका वहन करने के लिए पोत को प्रमाणित किया गया है.....

आईएमओ संख्यांक².....

नया/विद्यमान पोत*

वह तारीख जिसको कील बिछाई गई थी या पोत संनिर्माण के उसी प्रक्रम पर या, जहां लागू हो, वह तारीख जिसको प्रमुख प्रकृति

* जो लागू न हो उसे काट दें।

1 अनुकल्पित; पोत की विशिष्टियां बाक्सों में अनुप्रस्थ रूप से भरी जा सकेंगी।

2 संकल्प अ600 (15) के अनुसार संगठन द्वारा अंगीकृत आईएमओ पोत पहचान संख्या स्वीकृत देखें।

के संपरिवर्तन या परिवर्तन या उपातरण के लिए कार्य प्रारंभ हुआ था.....

यह प्रमाणित किया जाता है :

1. कि अभिसमय के उपाबंध IV के विनियम 9 और 10 के अनुपालन में पोत मल उपचार संयंत्र/विखंडन/धारक टैंक* से और निस्सारण पाइप लाइन से निम्नवत् रूप में सज्जित है :

1.1 मल उपचार संयंत्र का वर्णन :

मल उपचार संयंत्र का प्रकार.....

विनिर्माता का नाम.....

संकल्प एमईपीसा. 2 (VI) में यथा उपबंधित बहिःस्त्राव मानकों को पूरा करने के लिए मल उपचार संयंत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

1.2 विखण्डक का वर्णन :

विखण्डक का प्रकार.....

विनिर्माता का नाम.....

विसंक्रमण के पश्चात् मल का मानक.....

1.3 धारक टैंक का वर्णन :

धारक टैंक की कुल क्षमता.....एम³

अवस्थिति.....

1.4 ग्रहण सुविधा जो किसी मानक तट कनेक्शन से युक्त है, के मल के निस्सारण के लिए पाइप लाइन।

2. कि पोत का अभिसमय के उपाबंध IV के नियम 4 के अनुसार सर्वेक्षण कर लिया गया है।

3. कि सर्वेक्षण यह दर्शाता है कि पोत की संरचना, सज्जा प्रणाली, फिटिंग व्यवस्था और सामग्री तथा उसकी दशा सभी बाबत समाधानप्रद रूप में है और पोत अभिसमय के उपाबंध IV की लागू अपेक्षाओं का अनुपालन करता है।

यह प्रमाणपत्र अभिसमय के उपाबंध IV के विनियम 4 के अनुसार सर्वेक्षण के अधीन रहते हुए..... तक विधिमान्य है।

सर्वेक्षण की समापन तारीख, जिस पर यह प्रमाणपत्र आधारित है..... तारीख/मास/वर्ष

.....में जारी किया गया।

(प्रमाणपत्र जारी करने का स्थान)

(तारीख/मास/वर्ष).....

(जारी करने की तारीख).....

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर)

(प्राधिकारी की मुद्रा या स्टॉप, जो लागू हो)

जहाँ विनियम 8.3 लागू होता है, वहाँ प्रमाणपत्र यदि विधिमान्य है, पांच वर्ष से कम का विस्तार करने के लिए पृष्ठांकन

* जो लागू न हो उसे काट दें।

3. अभिसमय के उपाबंध IV के विनियम 8.1 के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट समाप्ति की तारीख भरे इस तारीख का दिन और मास अभिसमय के उपाबंध IV के विनियम 1.8 में यथा परिभाषित आदि तारीख के तदनु रूप है।

पोत अभिसमय के सुसंगत उपबंधों का अनुपालन करता है और यह प्रमाणपत्र अभिसमय के उपाबंध IV के विनियम 8.3 के अनुसार.....तक (तारीख/मास/वर्ष) विधिमान्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

हस्ताक्षरित.....

(प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर)

स्थान.....

तारीख (तारीख/मास/वर्ष).....

(प्राधिकारी की मुद्रा या स्टॉप जो लागू हो)

जहां नवीकरण सर्वेक्षण पूरा हो गया है और विनियम 8.4 लागू होता है वहां पृष्ठांकन

पोत अभिसमय के सुसंगत उपबंधों का अनुपालन करता है और यह प्रमाणपत्र अभिसमय के उपाबंध IV के विनियम 8.4 के अनुसार.....तक (तारीख/मास/वर्ष) विधिमान्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

हस्ताक्षरित.....

(प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर)

स्थान.....

तारीख (तारीख/मास/वर्ष).....

(प्राधिकारी की मुद्रा या स्टॉप जो लागू हो)

जहां विनियम 8.5 या 8.6 लागू होते हैं, वहां सर्वेक्षण के पत्तन पर पहुंचने तक या मॉफी अवधि तक प्रमाणपत्र की वैधता का विस्तार करने के लिए पृष्ठांकन

यह प्रमाणपत्र अभिसमय के उपाबंध IV के विनियम 8.5 या 8.6* के अनुसार.....तक (तारीख/मास/वर्ष) विधिमान्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

हस्ताक्षरित.....

(प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर)

स्थान.....

तारीख (तारीख/मास/वर्ष).....

(प्राधिकारी की मुद्रा या स्टॉप जो लागू हो)

* जो लागू न हो उसे काट दें।

अनुसूची

(नियम 14 देखिए)

अन्तर्राष्ट्रीय मल प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र/भारतीय मल प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए संचालित सर्वेक्षणों के लिए फीस प्रयोजन

1. 500 टन तक पोत का सकल भार	
आरंभिक सर्वेक्षण	4,000 रुपए
नवीकरण सर्वेक्षण	3,000 रुपए
अतिरिक्त सर्वेक्षण	3,000 रुपए
2. 501 से 19,999 टन तक पोत का सकल टन भार	
आरंभिक सर्वेक्षण	10,000 रुपए
नवीकरण सर्वेक्षण	5,000 रुपए
अतिरिक्त सर्वेक्षण	5,000 रुपए
3. 20,000 से 29,999 टन तक पोत का सकल टन भार	
आरंभिक सर्वेक्षण	15,000 रुपए
नवीकरण सर्वेक्षण	10,000 रुपए
अतिरिक्त सर्वेक्षण	10,000 रुपए
4. 30,000 से 49,999 टन तक पोत का सकल टन भार	
आरंभिक सर्वेक्षण	20,000 रुपए
नवीकरण सर्वेक्षण	15,000 रुपए
अतिरिक्त सर्वेक्षण	15,000 रुपए
5. 50,000 से 99,999 टन तक पोत का सकल टन भार	

आरंभिक सर्वेक्षण		25,000 रुपए
वार्षिक सर्वेक्षण		20,000 रुपए
अतिरिक्त सर्वेक्षण		20,000 रुपए
6. 1,00,000 से अधिक टन सकल भार वाला पोत		
आरंभिक सर्वेक्षण		30,000 रुपए
वार्षिक सर्वेक्षण		25,000 रुपए
अतिरिक्त सर्वेक्षण		25,000 रुपए
रविवार, अवकाश और अतिकाल फीस	उन सर्वेक्षणों की सभी भदों की जिनके लिए कोई फीस विहित नहीं की गई है, फीस निम्नलिखित होगी :—	
	अतिकाल (9.30 बजे पूर्वह्न से पूर्व या 6.00 बजे अपराह्न के परचात्)	1,000 रुपए
	अवकाश फीस	3,000 रुपए

[फा. सं. एस आर-11012/1/2008-एमजी]

राजीव गुप्ता, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF SHIPPING
NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th January, 2010

G.S.R. 13 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 356C, Section 356 E, clause (ee) of Section 356-O and Section 457 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Merchant Shipping (Prevention of Pollution by Sewage from Ships) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) "Act" means the Merchant Shipping Act, 1958;
- (b) "anniversary date" means the day and the month of each year which corresponds to the date of expiry of the International Sewage Pollution Prevention Certificate;
- (c) "Certificate" means and International Sewage Pollution Prevention Certificate or, as the case may be, an Indian Sewage Pollution Prevention Certificate, issued under rule 5;
- (d) "Certifying authority" means the Central Government;
- (e) "existing ship" means a ship which is not a new ship;
- (f) "Government ship" means the ship owned by the Central Government or the State Government;

(g) "holding tank" means a tank used for the collection and storage of sewage;

(h) "international voyage" means a voyage from a country to which the Convention applies to a port outside such country, or conversely;

(i) "new ship" means a ship-

(A) for which the building contract is placed, or in the absence of a building contract, the keel of which is laid, or which is at a similar stage of construction, on or after the 27th day of September, 2003; or

(B) the delivery of which is three years or more after the 27th day of September, 2003;

(j) "nearest land", with all its grammatical variations, means the baseline from which the territorial sea of the territory in question is established in accordance with international law except that for the purposes of the Convention, nearest land off the north-eastern coast of Australia shall mean a baseline drawn from a point on the coast of Australia in latitude 11°00'S, longitude 142°08' E to-

a point in latitude 10°35'S, longitude 141°55'E,

thence to a point latitude 10°00'S, longitude 142°00'E,

thence to a point latitude 09°10'S, longitude 143°52'E,

thence to a point latitude 09°00'S, longitude 144°30'E,

thence to a point latitude 10°41'S, longitude 145°00'E,

thence to a point latitude 13°00'S, longitude 145°00'E,

60/10/10-2

thence to a point latitude 15°00'S, longitude 146°00'E,
 thence to a point latitude 17°30'S, longitude 147°00'E,
 thence to a point latitude 21°00'S, longitude 152°55'E,
 thence to a point latitude 24°30'S, longitude 154°00'E,
 thence to a point on the coast of Australia in latitude
 24°42' S, longitude 153° 15' E;

(k) "person" includes the member of the crew and the passenger;

(l) "section" means section of the Act;

(m) "sewage" shall have the same meaning as assigned to it in the explanation to sub-section (3) of Section 356C;

3. Obligation to prevent pollution of sea by sewage.—(1) The following ships engaged in voyages shall be under obligation to prevent pollution of sea by sewage from ships and shall comply with the provisions of these rules, namely:—

(a) new ships of four hundred gross tonnage and above;

(b) new ships of less than four hundred gross tonnage which are certified to carry more than fifteen persons;

(c) existing ships of four hundred gross tonnage and above, five years after the date of 27th day of September, 2003;

(d) existing ships of less than four hundred gross tonnage which are certified to carry more than fifteen persons, five years after the date of 27th day of September, 2003.

(2) The Central Government shall ensure that existing ships, specified under clauses (c) and (d) of sub-rule (1), the keels of which are laid or which are at a similar stage of construction before 2nd October, 1983, shall be so equipped as to discharge sewage in accordance with the requirements of Rule 11:

Provided that provisions of rule 11 shall not apply to—

(a) the discharge of sewage from a ship is necessary for the purpose of securing the safety of the ship and those on board, or for saving life at sea; or

(b) the discharge of sewage results from damage to the ship or its equipment provided all reasonable precautions have been taken before and after the occurrence of such damage for the purpose of preventing or minimizing the discharge.

4. Surveys.—(1) Every ship specified under sub-rule (1) of rule 3 shall be subject to the following surveys, namely:—

(a) an initial survey shall be conducted before the ship is put in service or before the Certificate required under rule 5 is issued for the first time

and such initial survey shall include a complete survey of its structure, equipment, systems, fittings, arrangements and material so as to ensure that they fully comply with the requirements of these rules.

(b) a renewal survey shall be conducted at an interval not exceeding five years except where the provisions of sub-rules (2), (5), (6) and (7) of Rule 8 are applicable and the renewal survey shall be such as to ensure that the structure, equipment, systems, fittings, arrangements and materials fully comply with the requirements of these rules.

(c) an additional survey, either general or partial, according to the circumstances, shall be conducted after a repair is required under sub-rule (4), or whenever important repairs or renewals are made and such survey shall ensure that necessary repairs or renewals have been effectively made and that the material and workmanship of such repairs or renewals are in all respect satisfactory and the ship complies with the requirements of these rules in all respect.

(2) The Central Government shall specify appropriate measures for ships which are not subject to the provisions of sub-rule (1) in such manner that the provisions of these rules are complied with.

(3) The surveys of ships for the purposes of enforcement of the provisions of these rules shall be carried out by a surveyor appointed under section 9, or a person authorised under sub-section (1) of Section 356G, by the Central Government.

(4) The Central Government shall,—

(a) subject to such conditions as it deems fit, empower the surveyor or, as the case may be, the authorised person, referred to in sub-rule (3), to require repairs to a ship and to carry out survey on the request of appropriate authorities of a State Party; and

(b) notify the International Maritime Organisation of the specific responsibilities and conditions of authority so given to the surveyor or the authorised person, for circulation to the State Parties, for the information of their officers.

(5) When the surveyor or, as the case may be, the authorised person determines that the condition of the ship or its equipment does not correspond substantially with the particulars of the certificate or is such that, the ship is not fit to proceed to sea without presenting an unreasonable threat of harm to the marine environment, such surveyor or authorised person shall immediately ensure that corrective action is taken and shall also, in due course, report the same to the Central Government :

Provided that where such corrective action is not taken, the certificate shall be withdrawn and the Central Government shall be reported of it immediately :

Provided further that if the ship is in a port of another State Party, the appropriate authorities of that Port State shall be reported immediately :

Provided also that where the surveyor or the authorised person has reported to the appropriate authorities of the Port State, the Government of that Port State shall give such surveyor or authorised person necessary assistance to carry out their obligations under these rules and shall ensure that such ship shall not sail until it can proceed to sea or leave the port for the purpose of proceeding to the nearest appropriate repair yard available, without presenting any unreasonable threat of harm to the marine environment.

(6) The Central Government shall, in every case, fully guarantee the completeness and efficiency of such survey and undertake to ensure necessary arrangements to satisfy such obligation.

(7) The condition of the ship and its equipment shall be maintained in such manner as to conform to the provisions of the Convention so that the ship shall remain, in all respects, fit to proceed to sea without presenting any unreasonable threat of harm to the marine environment.

(8) After any survey of the ship under sub-rule (1) has been completed, no change shall be made in the structure, equipment, systems, fittings, arrangements or material covered by such survey without the sanction of the Central Government except any direct replacement of such equipment and fittings.

(9) Whenever an accident occurs to a ship or a defect is discovered which substantially affects the integrity of the ship or the efficiency or completeness of its equipment as required by these rules, the master or owner of the ship shall report at the earliest opportunity to the Central Government, who shall cause investigations to be initiated by the surveyor or the authorised person to determine whether a survey as required by sub-rule (1) is necessary :

Provided that if the ship is in the port of another State Party, the master or owner shall also report immediately to the appropriate authorities of that Port State and the surveyor or the authorised person shall also ascertain that such report has been made.

5. Issue or Endorsement of Certificate.—(1) After an initial survey or, as the case may be, a renewal survey in accordance with the provisions of Rule 4, an International Sewage Pollution Prevention Certificate shall be issued to any ship which is engaged in voyages to ports or offshore terminals under the jurisdiction of other State Parties to the Convention and in the case of existing ships, such requirement shall apply five years after the date of 27th September, 2003.

(2) The Certificate refer to in sub-rule (1) shall be issued or endorsed by the Central Government and in every case, it shall assume full responsibility for such Certificate.

(3) The Central Government may, at the request of the Government of a State Party to the Convention, cause survey of a ship registered in that State and if satisfied that the provisions of the Convention are complied with, issue an International Sewage Pollution Prevention Certificate to that ship and a copy of the certificate and a copy of the Survey Report shall be transmitted as soon as possible to that Government requesting the survey.

(4) A certificate issued under sub-rule (3) shall contain a statement that it has been issued at the request of the Government of the State Party and such certificate shall have the same effect as if it was issued by that Government.

(5) No International Sewage Pollution Prevention Certificate shall be issued to a ship which is entitled to fly the flag of a State, which is not a Party.

(6) The Central Government shall issue an Indian Sewage Pollution Prevention Certificate to any ship which is engaged in voyages to ports or offshore terminals in Indian waters and in the case of existing ships, such requirement shall apply five years after the date of 27th September, 2003.

6. Issue or Endorsement of a Certificate by another Government.—(1) The Government of a State Party to the Convention may, on the request of the Central Government, cause a ship to be surveyed and if satisfied that the provisions of the Convention are complied with, issue or authorise the issue of an International Sewage Pollution Prevention Certificate to that ship and where appropriate, endorse or authorise the endorsement of that Certificate on the ship in accordance with these rules.

(2) A copy of the Certificate and a copy of the survey report shall be transmitted to the Central Government requesting the survey.

(3) A Certificate so issued under sub-rule (1) shall contain a statement to the effect that it has been issued at the request of the Central Government and it shall have the same force and receive the same recognition as the certificate issued under rule 5.

7. Form of Certificate.—The International Sewage Pollution Prevention Certificate shall be in Form-I and the Indian Sewage Pollution Prevention Certificate shall be in Form-II.

8. Duration and validity of certificate.—(1) The International Sewage Pollution Prevention Certificate or, as the case may be, the Indian Sewage Pollution Prevention Certificate shall be issued valid for a maximum period of five years.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), when the renewal survey is completed---

- (a) within three months before the expiry date of the existing certificate, the new certificate issued shall be valid from the date of completion of such renewal survey for a period of five years from the date of expiry of the existing certificate;
- (b) after the expiry date of the existing certificate, the new certificate issued shall be valid from the date of completion of such renewal survey for a period of five years from the date of expiry of the existing certificate;
- (c) more than three months before the expiry date of the existing certificate, the new certificate issued shall be valid from the date of completion of the renewal survey for a period of five years from the date of completion of such renewal survey.

(3) If a renewal survey has been completed and a new certificate cannot be issued or placed on board the ship before the expiry date of the existing certificate, the Central Government may endorse the existing certificate and such certificate shall be accepted as valid for a further period of five months from the expiry date.

(4) If, at a time when the Certificate expires, a ship is not in the port in which it is to be surveyed, or in such other cases as it deems proper and reasonable so to do, the Central Government may, extend the period of validity of the certificate :

Provided that such extension shall be granted only for the purpose of allowing the ship to complete its voyage to the port in which it is to be surveyed :

Provided further that such extension shall not be granted for a period longer than three months :

Provided also that a ship to which an extension is granted shall not, on its arrival in the port in which it is to be surveyed, be entitled to leave that port without having a new Certificate and such new Certificate issued after the renewal survey is completed, shall be valid for a period of five years from the date of expiry of the existing Certificate before the extension was granted.

(5) Where a certificate issued to a ship engaged on short voyages has not been extended under the provisions of sub-rule (4), the Central Government may extend the period of grace up to one month from the date of its expiry and the new certificate issued after the renewal survey is completed shall be valid for a period of five years from the date of expiry of the existing certificate before the extension was granted.

(6) Under such special circumstances as may be determined by the Central Government, the new certificate shall be issued for a period of five years from the date of completion of the renewal survey and not from the date of expiry of the existing certificate as provided in clause (b) of sub-rule (2), sub-rule (4) and sub-rule (5).

(7) A certificate issued under rules 5 or 6 shall cease to be valid in the following cases, namely :—

- (a) where the surveys specified under sub-rule (1) of rule 4 has not been completed within the period specified thereunder; or
- (b) upon a transfer of the ship to the flag of another State Party:

Provided that no new certificate shall be issued by any Government required to do so unless it is fully satisfied that the ship is in full compliance of the requirements of sub-rules (7) and (8) of rule 4:

Provided further that in the case of a transfer between State Parties, if a request is made within three months after such transfer has taken place, the Government of the State Party whose flag the ship was formerly entitled to fly shall, as soon as possible, transmit to the Central Government copies of the certificate carried by the ship before such transfer and copies of survey reports, if available.

9. Sewage systems.—Every ship specified in rule 3 which is under obligation to comply with the provisions of these rules shall be equipped with one of the following sewage systems, namely :—

- (a) a sewage treatment plant, of the type approved by the Central Government, after taking into consideration the standards and test methods developed by the International Maritime Organisation; or
- (b) a sewage comminuting and disinfecting system, approved by the Central Government :

Provided that such system shall be fitted with such facilities for temporary storage of sewage when the ship is less than three nautical miles from the nearest land; or

- (c) a holding tank of such capacity as may be specified by the Central Government, for the retention of all sewage, having regard to the operation of the ship, the number of persons on board and other relevant factors:

Provided that such holding tank shall be constructed in such manner as may be specified by the Central Government and shall have means to indicate visually the amount of its contents.

10. Standard discharge connections.—(1) To enable pipes of reception facilities to be connected with the ship's discharge pipeline, both lines shall be fitted with a standard discharge connection, in accordance with the following Table, namely :—

TABLE
Standard dimensions of flanges for discharge connections

Description	Dimension
Outside diameter	210 mm
Inner diameter	According to pipe outside diameter
Bolt circle diameter	170 mm

Slots in flange	4 holes, 18 mm in diameter, equidistantly placed on a bolt circle of the above diameter, slotted to the flange periphery with the slot width of 18 mm
Flange thickness	16 mm
Bolts and nuts: quantity and diameter	4, each of 16 mm in diameter and of suitable length

The flange is designed to accept pipes up to a maximum internal diameter of 100 mm and shall be of steel or other equivalent material having a flat face and this flange, together with a suitable gasket, shall be suitable for a service pressure of 600 kPa :

Provided that for ships having a moulded depth of 5 m and less, the inner diameter of the discharge connection may be 38 mm.

(2) For ships in dedicated trades, i.e., passenger ferries, its discharge pipeline may, alternatively, be fitted with a discharge connection such as quick connection couplings, with the approval of the Central Government.

11. Discharge of sewage.—(1) Subject to the provisions of rule 3, the discharge of sewage into the sea is prohibited, except under the following circumstances, namely :—

- (a) the ship is discharging comminuted and disinfected sewage using such system as specified under clause (b) of rule 9 at a distance of more than three nautical miles from the nearest land, or sewage which is not comminuted or disinfected at a distance of more than twelve nautical miles from the nearest land :

Provided that the sewage that has been stored in holding tanks shall not be discharged instantaneously but at a moderate rate when the ship is en route and proceeding at not less than four knots:

Provided further that the rate of discharge shall be approved by the Central Government, on the basis of standards developed by the International Maritime Organisation; or

(b) the ship has in operation the sewage treatment plant to meet the operational requirements as specified under clause (a) of rule 9 and —

- (i) the test results of the plant are laid down in the ship's International Sewage Pollution Prevention Certificate; and
- (ii) the effluent shall not produce visible floating solids nor cause discolouration of the surrounding water.

(2) When the sewage is mixed with wastes or waste water, the provisions of the Convention applicable to other wastes other than sewage shall also be complied with, in addition to the requirements of these rules.

12. Reception facilities.—The Central Government shall ensure the provision of facilities at the ports and terminals for the reception of sewage without causing undue delay to ships, in accordance with the provisions of section 356-I.

13. Control on operational requirements.—

(1) During inspection of a foreign ship in Indian port under section 356G, the surveyor, or as the case may be, any other person authorised thereunder, has clear grounds to believe that the master or crew of that ship are not familiar with operational requirements and procedures relating to the prevention of pollution by sewage, the Director-General or any officer authorised by him, shall, on the recommendation of the surveyor or the authorised person, take such steps as provided in section 356H.

(2) Nothing in this rule shall be construed to limit the rights and obligations of the Central Government carrying out control over operational requirements specifically provided for in the Convention.

14. Fees.—The fee as specified in the Schedule shall be levied for the purposes of conducting surveys under these rules.

15. Penalty.—Whoever contravenes any of the provisions of these rules shall be punished with fine in accordance with the provisions of clause (b) of sub-section (2) of section 458.

FORM-I

(See rule 7)

International Sewage Pollution Prevention Certificate

Issued under the provisions of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto, as amended (hereinafter referred to as "the Convention"), under the authority of the Government of India.

by

(full designation of the competent person or organization authorized under the provisions of the Convention)

Particulars of ship¹

Name of ship

Distinctive number or letters

Port of registry

Gross tonnage

Number of persons which the ship is certified to carry

IMO Number²

New/existing ship*

Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction or, where applicable, date on which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced

THIS IS TO CERTIFY:

1. That the ship is equipped with a sewage treatment plant/comminuter/holding tank* and a discharge pipeline in compliance with regulations 9 and 10 of Annex IV of the Convention as follows :
 - 1.1 Description of the sewage treatment plant :
 - Type of sewage treatment plant
 - Name of manufacturer

The sewage treatment plant is certified by the Central Government to meet the effluent standards as provided for in resolution MEPC.2 (VI).
 - 1.2 Description of comminuter :
 - Type of comminuter
 - Name of manufacturer
 - Standard of sewage after disinfection
 - 1.3 Description of holding tank :
 - Total capacity of the holding tank m³
 - Location
 - 1.4 A pipeline for the discharge of sewage to a reception facility, fitted with a standard shore connection
2. That the ship has been surveyed in accordance with regulation 4 of Annex IV of the Convention.
3. That the survey shows that the structure, equipment, systems, fittings, arrangements and material of the ship and the condition thereof are in all respects satisfactory and that the ship complies with the applicable requirements of Annex IV of the Convention.

This Certificate is valid until³ subject to surveys in accordance with regulation 4 of Annex IV of the Convention.

Completion date of survey on which this Certificate

is based: dd/mm/yyyy

Issued at.....

(Place of issue of Certificate)

(dd/mm/yyyy)

(Date of issue)

(Signature of authorized official issuing the Certificate)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

* Delete as appropriate

1. Alternatively, the particulars of the ship may be placed horizontally in boxes.

2. Refer to the IMO Ship Identification Number Scheme adopted by the Organization by resolution A.600 (15).

³ Insert the date of expiry as specified by the Central Government in accordance with regulation 8.1 of Annex IV of the Convention. The day and the month of this date correspond to the anniversary date as defined in regulation 1.8 of Annex IV of the Convention.

Endorsement to extend the Certificate if valid for less than 5 years where regulation 8.3 applies

The ship complies with the relevant provisions of the Convention, and this Certificate shall, in accordance with regulation 8.3 of Annex IV of the Convention, be accepted as valid until (dd/mm/yyyy) :

Signed :
(Signature of authorized official)
Place :
Date (dd/mm/yyyy) :

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement where the renewal survey has been completed and regulation 8.4 applies

The ship complies with the relevant provisions of the Convention, and this Certificate shall, in accordance with regulation 8.4 of Annex IV of the Convention, be accepted as valid until (dd/mm/yyyy):

Signed :
(Signature of authorized official)
Place :
Date (dd/mm/yyyy) :

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement to extend the validity of the Certificate until reaching the port of survey or for a period of grace where regulation 8.5 or 8.6 applies

This certificate shall, in accordance with regulation 8.5 or 8.6* of Annex IV of the Convention, be accepted as valid until (dd/mm/yyyy).....

Signed :
(Signature of authorized official)
Place :
Date (dd/mm/yyyy) :

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

FORM-II

(See rule 7)

Indian Sewage Pollution Prevention Certificate

Issued under the provisions of the Merchant Shipping (Prevention of Pollution by Sewage from Ships) Rules, 2009, under the authority of the Government of India and in respect to the provisions of Annex IV of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto, as amended (hereinafter referred to as "the Convention").

by

(full designation of the competent person or organization authorized under the provisions of the Paragraphs.)

Particulars of ship¹

Name of ship

Distinctive number of letters

Port of registry

Gross tonnage

Number of persons which the ship is certified to carry

* Delete as appropriate.

1. Alternatively the particulars of the ship may be placed horizontally in boxes.

IMO Number¹

New/existing ship*

Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction or, where applicable, date on which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced

THIS IS TO CERTIFY:

- 1 That the ship is equipped with a sewage treatment plant/comminuter/holding tank and a discharge pipeline in compliance with regulations 9 and 10 of Annex IV of the Convention as follows :
 - 1.1 Description of the sewage treatment plant :
 - Type of sewage treatment plant
 - Name of manufacturer
 - The sewage treatment plant is certified by the Central Government to meet the effluent standards as provided for in resolution MEPC.2 (VI).
 - 1.2 Description of comminuter:
 - Type of comminuter
 - Name of manufacturer
 - Standard of sewage after disinfection
 - 1.3 Description of holding tank :
 - Total capacity of the holding tank m³
 - Location
 - 1.4 A pipeline for the discharge of sewage to a reception facility, fitted with a standard shore connection
2. That the ship has been surveyed in accordance with regulation 4 of Annex IV of the Convention.
3. That the survey shows that the structure, equipment, systems, fittings, arrangements and material of the ship and the condition thereof are in all respects satisfactory and that the ship complies with the applicable requirements of Annex IV of the Convention.

This Certificate is valid until²subject to surveys in accordance with regulation 4 of Annex IV of the Convention.

Completion date of survey on which this Certificate

is based: dd/mm/yyyy

Issued at.....

(Place of issue of Certificate)

(dd/mm/yyyy)

(Date of issue)

.....
(Signature of authorized official issuing the Certificate)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement to extend the Certificate if valid for less than 5 years where regulation 8.3 applies

The ship complies with the relevant provisions of the Convention, and this Certificate shall, in accordance with regulation 8.3 of Annex IV of the Convention, be accepted as valid until (dd/mm/yyyy) :

Signed :

(Signature of authorized official)

Place :

Date (dd/mm/yyyy) :

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

¹ Refer to the IMO Ship Identification Number Scheme adopted by the Organization by resolution A.600 (15).

* Delete as appropriate.

² Insert the date of expiry as specified, by the Central Government in accordance with regulation 8.1 of Annex IV of the Convention. The day and the month of this date correspond to the anniversary date as defined in regulation 1.8 of Annex IV of the Convention.

Endorsement where the renewal survey has been completed and regulation 8.4 applies

The ship complies with the relevant provisions of the Convention, and this Certificate shall, in accordance with regulation 8.4 of Annex IV of the Convention, be accepted as valid until (dd/mm/yyyy):

Signed :

(signature of authorized official)

Place :

Date (dd/mm/yyyy) :

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement to extend the validity of the Certificate until reaching the port of survey or for a period of grace where regulation 8.5 or 8.6 applies

This certificate shall, in accordance with regulation 8.5 or 8.6* of Paragraph IV of the Convention, be accepted as valid until (dd/mm/yyyy).....

Signed :

(signature of authorized official)

Place :

Date (dd/mm/yyyy) :

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

* Delete as appropriate.

SCHEDULE

(See rule 14)

Fee for surveys conducted for issuing an International Sewage Pollution Prevention Certificate/Indian Sewage Pollution Prevention Certificate.

Purposes		
1.	Gross Tonnage of Ship up to 500 tons	
	Initial Survey	Rs. 4,000
	Renewal Survey	Rs. 3,000
	Additional Survey	Rs. 3,000
2.	Gross Tonnage of Ship 501 to 19,999 tons	
	Initial Survey	Rs. 10,000
	Renewal Survey	Rs. 5,000
	Additional Survey	Rs. 5,000
3.	Gross Tonnage of Ship 20,000 to 29,999 tons	
	Initial Survey	Rs. 15,000
	Renewal Survey	Rs. 10,000
	Additional Survey	Rs. 10,000
4.	Gross Tonnage of Ship 30,000 to 49,999 tons	
	Initial Survey	Rs. 20,000
	Renewal Survey	Rs. 15,000
	Additional Survey	Rs. 15,000

Purposes

5.	Gross Tonnage of Ship 50,000 to 99,999 tons	
	Initial Survey	Rs. 25,000
	Annual Survey	Rs. 20,000
	Additional Survey	Rs. 20,000
6.	Gross Tonnage of Ship—Above 1,00,000 tons	
	Initial Survey	Rs. 30,000
	Annual Survey	Rs. 25,000
	Additional Survey	Rs. 25,000
	Sundays, holidays and overtime fees	for all the items of surveys for which no fees has been prescribed, the fee shall be as follows :
		Overtime (Before 9.30 a.m. or after 6.00 p.m.)
		Rs. 1,000
		Holidays fees
		Rs. 3,000

[F. No. SR-11012/01/08-MG]

RAJEEV GUPTA, Jt. Secy.